

**मद क्रमांक 1 (4149)**

भैरमगढ़ बोदली से बांगोली मार्ग के कि.मी. 8/8 से 9/6 पर इन्द्रावती नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 4415.00 लाख है, जिस पर इस वित्तीय वर्ष ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 (7813)**

23 सड़कों के लिए आकस्मिकता निधि से प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया था। जिनमें से निम्नलिखित 3 सड़कों को ई.पी.सी. (नाबार्ड) मद से निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- (1) लोहारा-रेंगाड़बरी-जुनापानी-चौकी मार्ग लंबाई 42.00 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 15073.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
  - (2) पसान-पिपरिया-कोडगार-दुल्लापुर मोड़ (खड़गावां चिरमिरी मार्ग) मार्ग लंबाई 34.00 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 10393.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
  - (3) पूंजीपतरा-लैलूंगा मार्ग उड़ान मार्ग लंबाई 53.00 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 16032.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
2. अम्बिकापुर रिंग रोड़ मार्ग लंबाई 10.80 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 11000.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 (7818)**

23 सड़कों के लिए आकस्मिकता निधि से प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया था। उक्त में से 18 सड़कों को ई.पी.सी. मद एवं 3 सड़कों को ई.पी.सी. नाबार्ड मद में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। अतः निम्नलिखित 18 सड़कों को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में अनुपूरक अनुमान में शामिल किया गया है : -

- (1) कठौतिया-केलाहारी-जनकपुर-बड़वाही मार्ग लंबाई 128.81 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 37595.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
- (2) घरघोड़ा-लैलूंगा मार्ग लंबाई 22.69 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 7349.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
- (3) नागर-अकलसराई मार्ग लंबाई 17.10 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 3392.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
- (4) अंमिकापुर-केरता-जगन्नाथपुर-प्रतापपुर मार्ग लंबाई 40.50 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 9465.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
- (5) प्रतापपुर-गेरसा-केरजू मार्ग लंबाई 39.07 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 13517.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
- (6) तारा-प्रेमनगर-कृष्णपुर मार्ग लंबाई 50.24 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 14066.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
- (7) बाकारस्मा-लैलूंगा मार्ग लंबाई 22.92 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 6295.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
- (8) आदमाबाद-घोटिया-डौड़ी मार्ग लंबाई 40.68 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 10602.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
- (9) छुरिया-कल्लू बंजारी-महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग लंबाई 25.06 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 6146.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
- (10) चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला-महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग लंबाई 22.21 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 6118.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
- (11) कुंआरपुर-कंजिया मार्ग लंबाई 11.62 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 3392.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

- (12) हरदीबाजार-कसियाडीह मार्ग लंबाई 30.71 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 8963.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (13) चोटिया-चिरमिरी-मार्ग कोरबी से घोंसरा मार्ग लंबाई 27.60 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 8057.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (14) कटघोरा-बिलासपुर मार्ग उड़ान मार्ग लंबाई 45.60 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 13530.00 लाख) पर इस वर्ष विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (15) अजगर बहार-कछार मार्ग उड़ान मार्ग लंबाई 39.10 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 11677.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (16) पाली से सिल्ली मार्ग उड़ान मार्ग लंबाई 21.58 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 6465.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा
- (17) जटगा-घुमानीडांड से लमना (ग.रा. मार्ग क. 430 तक) मार्ग उड़ान मार्ग लंबाई 14.33 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 4294.00 लाख) पर इस वर्ष राशि व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा
- (18) धरमजयगढ़-हाटी-उरगा मार्ग उड़ान मर्ग लंबाई 71.00 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 21916.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।